राधा मोहन मालाकार और अन्य

बनाम

उषा रंजन भट्टाचार्जी और अन्य

(सिविल अपील सं. 4157/2009)

7 जुलाई, 2009

(आर. वी. रवींद्रन और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.)

सेवा कानून-वरिष्ठता-सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के बीच परस्पर वरिष्ठता-कार्यालय ज्ञापन के द्वारा 1989 बैच के पदोन्नत व्यक्तियों को 1990 बैच के सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों में एन-ब्लॉक सीनियर रखा गया और 1991 बैच के पदोन्नत व्यक्तियों को 1990 बैच के सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों पर एन-ब्लॉक कनिष्ठ रखा गया-1991 बैच के पदोन्नत पाने वाले जो कुछ सीधी भर्तियों पर वरिष्ठता का दावा करते हैं-एकल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने दावे को अस्वीकार कर दिया-खंड पीठ उच्च न्यायालय ने इस दावे को स्वीकार करते हुए कहा कि कार्यालय ज्ञापन, आर.28(ग) सिविल सेवा नियम के विपरीत था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया-सीधी भर्ती वालों को 1991 बैच के पदोन्नतियों से वरिष्ठ माना जाएगा-1991 बैच के पदोन्नतों के लिए-सीधी भर्ती का कोटा पार नहीं किया गया है, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से ली जानी है और उनकी

वरिष्ठता को कम नहीं किया जा सकता-कार्यालय ज्ञापन आर. 28 (ग)-त्रिपुरा सिविल सेवा नियम, 1967-आर. 28(ग) के विपरीत नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना दिनांक 25.5.1981, जिसमें सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच अंतर-वरिष्ठता को नियंत्रण करने वाले सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया था, को पदोन्नतियों द्वारा चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना को रद्द कर दिया और इसे अंतिम रूप दे दिया गया। राज्य सरकार ने ज्ञापन दिनांक 25.7.1997 द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में एक वरिष्ठता सूची का मसौदा जारी किया, जिसमें 1989 (पदोन्नत पाने वाले), 1990 (सीधी भर्ती) और 1991 (पदोन्नत पाने वाले) के बैचों के लिए वरिष्ठता सूची शामिल है, पदोन्नतियों को रखा गया है, उनकी भर्ती की व्यक्तिगत तिथि चाहे जो भी हो, उनके संबंधित स्थान पर कोटा रोटा नियमों के आधार पर श्रेणीकरण सूची।

इसके बाद सरकारी आदेश दिनांक 25.5.2000 सापेक्ष वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांतों को नियंत्रित करता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोटा से अधिक भर्ती किए गए व्यक्तियों को उसी कैलेंडर वर्ष में आवर्तन वरिष्ठता नहीं मिलेगी और उन्हें उस वर्ष में वापस कर दिया जाएगा जहाँ उन्हें समायोजित किया जा सकता है। 1989 के बैच (पदोन्नति पाने वाले), 1990 (1987/88 संवर्ग में मूल रिक्तियों के खिलाफ सीधी भर्ती) और 1991 (पदोन्नति पाने वाले) 1991 अधिकारियों की वरिष्ठता सूची कार्यालय ज्ञापन

दिनांकित 9.6.2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार 1989 के सभी पदोन्नति प्राप्त लोगों को 1990 सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों से अधिक एन-ब्लॉक वरिष्ठ रखा गया और सभी 1990 सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों को 1991 पदोन्नत व्यक्तियों से अधिक एन-ब्लॉक रखा गया।

1991 बैच के पदोन्नत व्यक्तियों ने सरकारी आदेश दिनांकित 25.5.2000 और वरिष्ठता सूची दिनांकित 9.6.2000 को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि वरिष्ठता पर एक तरफ 1989 और 1991 बैच के पदोन्नत लोगों और दूसरी तरफ सीधी भर्ती वाले लोगों के बीच विचार किया जाना चाहिए था। एकल उच्च न्यायाधीश अदालत ने याचिका खारिज कर दी। खंड पीठ उच्च न्यायालय ने अंतर-अदालत अपील में सरकारी आदेश और वरिष्ठता सूची को धारा 28(ग) त्रिपुरा सिविल सेवा नियम, 1967 के प्रावधानों के विपरीत माना। अतः 1990 बैच के कुछ सीधी भर्ती वाले लोगों द्वारा वर्तमान अपील पेश की गयी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

मानाः सरकार का आदेश दिनांक 25.5.2000 और कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 9.6.2000 वैध हैं और त्रिपुरा सिविल सेवा नियम, 1967 के अनुसार है। सामान्य नियम यह है कि वरिष्ठता निरंतर कार्यवाहक सेवा की अवधि पर निर्भर करेगी, इसका पालन करना होगा। जब तक कि सीधी भर्तियों या पदोन्नतियों का कोटा पार ना हो जाए। यह केवल तभी है जब

उक्त कोटा पार हो गया है तो ही नियुक्तियों को वरिष्ठता में नीचे धकेलना होगा, अन्यथा वरिष्ठता निरंतर कार्यवाहक सेवाकी तारीख से लेनी होगी। वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया कि सीधी भर्तियों का कोटा पार नहीं किया गया है। अतः सीधी भर्तियों की वरिष्ठता (अपीलार्थी) को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से लिया जाना चाहिए और उन्हें वरिष्ठता में नीचे नहीं धकेला जा सकता है। पदोन्नति पाने वाले (उत्तरदाताओं) को त्रिपुरा सिविल सेवा के ग्रेड।। में नियुक्त किया गया था, इसलिए पूर्व को बाद वाले से कनिष्ठ माना जाना चाहिए। चूंकि सीधी भर्तियों का कोटा पार नहीं हुआ है, इसलिए वरिष्ठता की गणना प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से की जानी है और उक्त वरिष्ठता को नीचे नहीं धकेला जा सकता है(पैरा नंबर 29,31 और 33) (468-एफ-एचः 469 - सी; 469 – एफ)

1977(1) एससीसी308; बी. एस. माथुर और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 2008(10) एस. सी. सी. 271, पर भरोसा किया।

मर्विन कोटिंडो बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर ए. आई. आर. 1967 एस. सी.

52; एस. जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1427;

वी. बी. बादामी बनाम मैसूर राज्य 1967 (2) एस. सी. सी. 901; ओ. पी.

सिंगला और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1984(4) एससीसी 450;

रुद्र कुमार सैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2008(8) एस. सी. सी. 25, संदर्भित मामला।

कानून संदर्भः

1977(1) एस. सी. सी. 308	आश्वस्त हो गए	पैरा 27
ए. आई. आर 1967 एस. सी. 52	संदर्भित किया गया	पैरा 28
ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1427	संदर्भित किया गया	पैरा 28
1967(2) एस. सी. सी. 901	संदर्भित किया गया	पैरा 28
2008(10) एस. सी. सी. 271	आश्वस्त हो गए	पैरा 32
1984(4) एससीसी 450	संदर्भित किया गया	पैरा 32
2008(8) एससीसी 25	संदर्भित किया गया	पैरा 32

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4157/2009

उच्च न्यायालय गुवाहाटी की 2004 की रिट अपील संख्या 166 और 2006 के दीवनी विविध आवेदन सं. 84, दिनांकित 18.9.2006 में निर्णय और आदेश दिनांकित 5.4.2006

कृष्णन वेणुगोपाल, राकेश द्विवेदी, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, सिद्धार्थ, अबीर फूकन, रंजन मुखर्जी, गोपालसिंह, मनीष कुमार, रितु राज विश्वास, राहुल दुआ और अंकित दलेला- उपस्थित पक्षकारान की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

मार्कंडेय काटजू, जे.

1. अनुमति दी गयी।

2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील उच्च न्यायालय गुवाहाटी द्वारा पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 5.4.2006,रिट अपील संख्या 166/2004

3. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और प्रलेख का अवलोकन किया गया।

4. इस मामले में विवाद त्रिपुरा सिविल सेवा का ग्रेड-।। में 1990 की सीधी भर्ती वाले और 1991 के पदोन्नत लोगों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता के बारे में है, जिसे त्रिपुरा सिविल सेवा नियम 1967 के तहत गठित किया गया है। इस मामले में अपीलार्थी सीधी भर्ती वाले हैं और उत्तरदाता पदोन्नति वाले हैं।

5. पदोन्नतियों ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसे दिनांक 24.4.2004 को खारिज कर दिया गया, लेकिन उस फैसले के खिलाफ पदोन्नतियों द्वारा

एक रिट अपील दायर की गई थी जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आक्षेपित निर्णय दिनांक 5.4.2006 द्वारा अनुमति दी गई थी। इसलिए सीधी भर्तियों द्वारा यह अपील की गई है।

6. त्रिपुरा सिविल सेवा (संक्षेप में, 'टी. सी. एस.') के सदस्यों की अंतर वरिष्ठता का निर्धारण त्रिपुरा सिविल सेवा नियम 1967 (संक्षेप में, 'टी. सी. एस. नियम') के नियम 28 द्वारा शासित होता है। नियम 28 का उप-नियम (ग), जो बार-बार विवाद का विषय रहा है, निम्नानुसार पढ़ेः-

> "सीधी भर्ती से आने वाले और पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता सीधी भर्ती से आने वाले और पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों के बीच रिक्तियों के चक्रानुक्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी और नियम 5 के तहत सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटा पर आधारित होगा।''

7. त्रिपुरा सरकार ने पहले दिनांक 25.5.1981 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें सीधी भर्ती किए गए और पदोन्नत लोगों के बीच अंतर वरिष्ठता को नियंत्रण करने वाले सिद्धांत बताए गए थे, जो कथित तौर पर नियम 28 (ग) के अनुरूप थे। उपरोक्त अधिसूचना दिनंाक 25.5.1981, को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

"सरकार ने देखा है कि त्रिपुरा सरकार के तहत कार्यरत व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के सामान्य सिद्धांतों के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई हैं, जैसा कि त्रिपुरा प्रशासन के आदेश सं. एफ1.(16) -जीए/59 दिनांकित 12.7.1960 में शामिल किया गया है''

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि सीधी भर्ती और नियमित पदोन्नत लोगों की सापेक्ष वरिष्ठता का आवर्तन और निर्धारण केवल ऐसे अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा जो किसी भी स्रोत से एक ही ग्रेड और एक ही संवर्ग में किसी एक कैलेन्डर वर्ष के भीतर नियुक्त किए गए हों।

3. सरकार द्वारा पहले से ही अधिसूचित कोई भी अंतिम वरिष्ठता सूची केवल वर्तमान आदेश जारी होने के कारण संशोधन के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

आदेश द्वारा और राज्यपाल के नाम पर

एस. डी/- एस. आर. शंकरन

मुख्य सचिव ने

त्रिपुरा सरकार"।

(मार्कंडेय काटजू, जे. जे.)

8. अधिसूचना दिनांक 25.5.1981, उपर्युक्त, टी. सी. एस. के ग्रेड-।। के पदोन्नतियों द्वारा सिविल नियम संख्या 204/81 में चुनौती दी गई, जिन्होंने एक संगठन सेवा अधिकारी, त्रिपुरा, अगरतला के नाम और शैली के तहत एक संगठन बनाया जरिये निर्णय और आदेश द्वारा दिनांक 29.7.1992, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने सिविल नियम को अनुमति दी गई और विवादित अधिसूचना दिनांकित 25.5.1981 को रद्द कर दिया, पूर्व कथित।

9. उक्त अधिसूचना दिनांक 25.5.1981 को रद्द करते हुए, खण्ड पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः

> "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रंखला में यह सुस्थापित है कि जब एक निश्चित कोटा वाली सेवा में भर्ती के दो स्रोत होते हैं, तो कोटा नियम का पालन किया जाना चाहिए और कोटा का पालन करने में कोई विचलन नहीं होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि पदोन्नत व्यक्ति सीधी भर्ती के कोटे के भीतर की रिक्तियों पर कब्जा कर लेते हैं, तो जब सीधी भर्ती होती है, तो सीधी भर्ती वाले रिक्तियों पर कब्जा कर लेंगे। उनका

कोटा और जो पदोन्नत व्यक्ति सीधी भर्ती के कोटे के भीतर रिक्तियों पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें या तो वापस कर दिया जाएगा या उनके कोटे के भीतर रिक्तियों में समाहित कर लिया जाएगा। इस प्रकार, जब रिक्तियों में सीधी भर्ती से नियुक्ति की जाती है, जो पदोन्नति द्वारा भर्ती के बाद पदोन्नत व्यक्ति अपने कोटे के भीतर रिक्त पद पर कब्जा कर लेंगे।

आक्षेपित अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों की सापेक्ष वरिष्ठता का आवर्तन और निर्धारण को एक की कैलेंडर वर्ष भर्ती तक सीमित कर दिया गया है, भले ही एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक ही स्रोत से या निश्चित कोटे से अधिक स्रोत से भर्ती की जाती है। इस प्रकार, एक कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती होने वाले और पदोन्नत होने वाले लोगों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता के निर्धारण को सीमित करने वाली अधिसूचना का उद्देश्य कोटा नियमों के सिद्धांत और सीधी भर्ती किए गए और सीधी भर्ती किए गए लोगों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता के निर्धारण की सुस्थापित सिद्धांतों को विफल करना और खत्म करना है। पदोन्नति तब होती है जब सेवा में भर्ती, सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षित कोटा रिक्तियों के विरूद्ध की जाती है।

नियम 28 त्रिपुरा सिविल सेवा नियम, 1967 के प्रावधान और विवादित निर्देश से यह प्रकट होता है कि विवादित आदेश दिनांकित 28.5.1981 टी. सी. एस. नियमों के नियम 28 के प्रावधानों से असंगत है व उल्लंघन करता है यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वैधानिक नियमों के प्रावधानों को प्रशासनिक निर्देश द्वारा प्रावधानों की अवहेलना या उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और जो प्रशासनिक निर्देश नियमों के साथ असंगत और उल्लंघनकारी है, व अवैध व शून्य है। इसी वजह से ऊपर कहा गया है, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि दिनांकित 28.5.1991 का आक्षेपित आदेश प्रत्यक्ष रूप से त्रिपुरा सिविल सेवा नियम, 1967 के नियम 18 के प्रावधानों के साथ असंगत और/या उल्लंघनकारी होने से अवैध और शून्य है। इसलिए, याचिका को अनुमति दी जाती है और आक्षेपित अधिसूचना दिनांकित 28.5.1981 रद्द की जाती है। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया गया। (जोर दिया गया)

10. सिविल नियम सं. 204/1981 दिनांकित 29.7.1992 में खंडपीठ द्वारा दिया गया उक्त निर्णय चुनौति रहित रहा और तद्नुसार अंतिम रूप प्राप्त कर लिया। त्रिपुरा सरकार ने 25.07.1997 को कार्यालय ज्ञापन तैयार और प्रकाशित किया, जो कथित तौर पर दीवानी नियम सं. 204/1981 में निर्णय के संदर्भ में एक मसौदा वरिष्ठता सूची थी, जिनमें पदोन्नत लोगों को, उनकी भर्ती की तिथि के बावजूद, उनके संबंधित स्थान पर कोटा रोटा नियम के आधार पर श्रेणीकरण सूची में स्लॉट पर रखा गया। इसके बाद,

हालांकि, 25.5.2000 को एक सरकारी आदेश जारी किया गया जिसमें दीवानी नियम संख्या 204/1981 में निर्णय के के संदर्भ में सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया।

11. दिनांक 25.5.2000 के उक्त आदेश पर कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकार ने नए सिरे से प्रकाशित किया, 9.6.2000 दिनांकित आदेश के माध्यम से त्रिपुरा सिविल सेवा ग्रेड-।। के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जिसके द्वारा 1990 की सीधी भर्तियों को 1991 के पदोन्नति लोगों के ऊपर एन-ब्लॉक पर रखा गया था। सरकारी आदेश दिनांकित 25.5.2000 उपर्युक्त के साथ-साथ दिनांकित 9.6.2000 की वरिष्ठता सूची को कुछ 1991 पदोन्नतियों द्वारा चुनौती दी गई, दो रिट याचिकाओं में, अर्थात्, रिट याचिका संख्या 293/2000 और 294/2000

12. 23.4.2004 को दो रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि सीधी भर्तियों को रिट याचिकाओं की पदोन्नति से पहले टी. सी. एस. के ग्रेड-।। में भर्ती किया गया था और यह कि सीधी भर्ती, सीधी भर्ती से भरे जाने वाले कोटे के भीतर ही सीमित रही थी, रिट याचिकाकर्ता, बाद में टी. सी. एस. के ग्रेड-। में पदोन्नत होने पर, सीधी भर्तियों पर वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती है, क्योंकि जिन तारीखों को निजी उत्तरदाताओं को सीधे टी. सी. एस. के

ग्रेड-।। में भर्ती किया गया था, उन तारीखों पर टी. सी. एस. के संवर्ग में पदोन्नत लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। यह इस निष्कर्ष की सत्यता थी, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट अपील में चुनौती दी गई थी

13. खंडपीठ ने विवादित फैसले द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया और अपील की अनुमति दी और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले दिनांकित 23.4.2004 को के साथ-साथ दिनांकित 25.5.2000 का स्पष्टीकरण आदेश और दिनांकित 9.6.2000 की आक्षेपित श्रेणीकरण सूची को रद्द कर दिया। खण्ड पीठ ने प्राधिकरण त्रिपुरा सिविल सेवा 1967 के असंशोधित नियम 28 (ग) में सन्निहित सिद्धांतों के संदर्भ में और उसकी टिप्पणियों के आलोक में त्रिपुरा सिविल सेवा के ग्रेड ।। के संबंध में एक नई श्रेणीकरण सूची तैयार करने का निर्देश दिया। खण्डपीठ के समक्ष यह आदेश अपीलार्थियों और निजी उत्तरदाताओं तक ही सीमित था।

14. खंडपीठ ने माना कि विवादित स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 25.5.2000 और दिनांक 9.6.2000 के आदेश द्वारा प्रकाशित आक्षेपित वरिष्ठता सूची नियमों के नियम 28 (ग) के प्रावधानों के विपरीत थी। खंडपीठ ने यह भी माना कि दिनांक 25.5.2000 के आक्षेपित आदेश में उसी उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई थी जिसे अधिसूचना दिनांक

25.5.1981 को साकार करने की मांग की गई थी, और चूंकि उक्त अधिसूचना दिनांक 25.5.1981 को पहले ही रद्द कर दिया है, इसलिए एक और अधिसूचना जो समान प्रभाव वाली अधिसूचना हो, को लाने का सवाल उत्पन्न नहीं हो सकता और इसे कानूनी रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती।

15. वर्ष 1989 में, टी. सी. एस. में 25 पदोन्नति प्राप्त लोगों की भर्ती की गई थी। वर्ष 1987/1988 के संवर्ग में वास्तविक रिक्तियों के विरूद्ध टी. सी. एस. में वर्ष 1990 में प्रतिस्पर्धी परिवीक्षा के माध्यम से 32 सीधी भर्ती की भर्ती की गई थी, जिनके लिए विज्ञापन वर्ष 1988 में जारी किया गया था। यहां अपीलकर्ता 1990 बैच से संबंधित कुछ सीधी भर्ती वाले लोग है। वर्ष 1991 में फिर से टी. सी. एस. में 52 पदोन्नत लोगों की भर्ती की गई। निजी उत्तरदाताओं संख्या 1 से 12 तक सभी पदोन्नत हैं जो 1991 बैच के हैं हालाँकि, यहाँ केवल इन 12 उत्तरदाताओं ने रिट अपील सं. 166/2004 दायर की थी। जिसका निर्णय यहां विवादित है। यहाँ विवादित निर्णय में कुछ मुट्ठी भर पक्षों के बीच वरिष्ठता को इस याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा छेडा गया है।

16. अपीलार्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय को एक तरफ 1989 के पदोन्नत लोग, 1991 के पदोन्नत लोग और दूसरी ओर 1990 की सीधी भर्ती के बीच वरिष्ठता पर विचार करना चाहिए था। कई

पदोन्नति जो 1989 और 1991 बैच से संबंधित है, वे सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि, अपीलार्थियों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि आक्षेपित निर्णय को देखते हुए अब वरिष्ठता को गलत तरीके से 1990 (सीधी भर्ती) और 1991 (पदोन्नति) के आधार पर वर्तमान याचिका में पक्षकारों तक सीमित करने की मांग की गई है, जो गलत है।

17. टी. सी. एस. में सिविल सेवा अधिकारियों के संगठन ने उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 25.5.1981 के 1981 के नियम संख्या 204 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय अगरतला बेंच के समक्ष चुनौती दी गई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय अगरतला की खंड पीठ ने अंतिम निर्णय और दिनांक 29.7.1992 के आदेश के जरिये अधिसूचना दिनांकित 25.5.1981 को रद्द कर दिया।

18. यह उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में माना गया था कि सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों की सापेक्ष वरिष्ठता के घूर्णन और निर्धारण के 25.5.2000 दिनांकित प्रशासनिक आदेश को कैलेंडर वर्ष की भर्तियों तक ही सीमित किया गया है, भले ही एक कैलेंडर वर्ष में भर्ती हो केवल एक स्रोत से या निर्धारित कोटे से अधिक स्रोत बनाया गया हो। इसलिए यह माना गया कि 25.5.2000 दिनांकित प्रशासनिक आदेश कोटा नियमों के मूल सिद्धांत को विफल करने और निरस्त करने का है, जब सेवा में

सीधी भर्ती और पदोन्नत के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे से अधिक के खिलाफ की जाती है।

19. अनंतिम मसौदा वरिष्ठता सूची त्रिपुरा सरकार ने 25.7.1997 दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित की गई थी, जिसमें 1989 (पदोन्नति), 1990(सीधी भर्ती) और 1991 (पदोन्नत) के बैचों के लिए वरिष्ठता सूची शामिल थी। दिनांक 25.7.1997 को त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रकाशित मसौदा वरिष्ठता सूची की सत्य प्रतिलिपि अपील के अनुलग्नक पी-3 के रूप में प्रस्तुत की गई है।

20. अपीलकर्ताओं ने दिनंाक 25.7.1997 की उपरोक्त वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय गुवाहाटी के समक्ष एक रिट याचिका सं. 110/2000 दायर की। बाद में प्रशासनिक आदेश दिनांक 25.5.2000 और वरिष्ठता सूची दिनंाक 9.6.2000 को ध्यान में रखते हुए इसे वापस ले लिया गया।

21. त्रिपुरा सरकार ने टी. सी. एस. में सीधी भर्ती और पदोन्नति के बीच सापेक्ष वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांतों को नियंत्रण करने वाला प्रशासनिक आदेश दिनंाक 25.5.2000 जारी किया गया। इसमें यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि किसी भी स्रोत से कोटा से अधिक भर्ती किए गए व्यक्तियों को उसी कैलेंडर वर्ष में घूर्णी वरिष्ठता नहीं मिलेगी बल्कि उस वर्ष में वापस कर दिया जाएगा जहां उन्हें उस वर्ष से संबंधित कोटे में

समायोजित किया जा सकता है, जो कि पूर्व अधिसूचना दिनांक 25.5.1981 में स्पष्ट नहीं था।

22. त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी किया गया प्रशासनिक आदेश दिनांक 25.5.2000, इस प्रकार पढ़ता हैः-

"सं. एफ. 23 (9)-जी. ए. (पी एंड टी)/2000

त्रिपुरा सरकार

केंद्रीय प्रशासन (पी एंड टी) विभाग

25 मई, 2000

आदेश

विषयः - वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांत

राज्य सरकार द्वारा यह देखा गया कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के सामान्य सिद्धांतों के क्रियान्वयन में कुछ कठिनाईयां उत्पन्न हुई थी। जैसा कि त्रिपुरा प्रशासन के आदेश संख्या एफ. 1 (16)-जीए/59 दिनांकित 12.7.1960 में शामिल है।

2. कठिनाईयों को दूर करने के लिए आदेश सं. एफ. 1 (11)-जीए/59 दिनांकित 28.5.1981 द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था। उस स्पष्टीकरण के अनुसार सीधे भर्ती और पदोन्नत लोगों की सापेक्ष

वरिष्ठता का घूर्णन और निर्धारण केवल ऐसे अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना था जो किसी भी स्रोत से एक ही ग्रेड और एक ही संवर्ग में किसी एक कैलेंडर वर्ष के भीतर नियुक्त किए गए थे।

3. 1981 के सी. आर. 204 में माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह सापेक्ष वरिष्ठता के घूर्णन और निर्धारण को सीमित करता है, भले ही एक कैलेंडर वर्ष में एक स्रोत से कोटा से अधिक भर्ती की जाती है। तदनुसार, पूर्व के आदेश को प्रभावी न करने के लिए क्रमांक एफ. 23 (47)-जीए/ 81 दिनांक 8.7.1993 द्वारा एक औपचारिक आदेश जारी किया गया था।

4. हालांकि, उपरोक्त कठिनाईयां अभी भी बनी हुई है और उन पर काबू पाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में संशोधित रूप में यह फिर से स्पष्ट किया जाता है कि सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों की सापेक्ष वरिष्ठता का घूर्णन और निर्धारण केवल ऐसे अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा जो किसी भी स्रोत से एक ही ग्रेड और एक ही संवर्ग में किसी एक कैलेंडर वर्ष के भीतर नियुक्त किए जाते हैं, यदि भर्ती संबंधित कोटा के भीतर की जाती है। किसी भी स्रोत से कोटा से अधिक भर्ती किए गए व्यक्तियों को उसी कैलेंडर वर्ष में घूर्णी वरिष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उस वर्ष में वापस कर दी जाएगी जहां उन्हें उस वर्ष के संबंधित कोटा में समायोचित किया जा सकता है।

5. सरकार द्वारा पहले से ही अधिसूचित कोई भी अंतिम वरिष्ठता सूची। केवल वर्तमान आदेश जारी होने के कारण संशोधन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

राज्यपाल के आदेश से(एस. के. रॉय)त्रिपुरा सरकार के सचिव।

23. त्रिपुरा सिविल सेवा में 1989 (पदोन्नति), 1990 (सीधी भर्ती), और 1991 (पदोन्नति) के ग्रेड।। बेचों में मौजूदा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 9.6.2000 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

24. हमारे समक्ष उत्तरदाता-पदोन्नति द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि अधिसूचना दिनांक 9.6.2000 के अनुसार वरिष्ठता सूची में, 1989 बेच के सभी पदोन्नतियों (संख्या में 25) को 1990 की सीधी भती से अधिक वरिष्ठ रखा गया था। 1990 की सीधी भर्तियों को 1991 के पदोन्नत बैच के ऊपर एन-ब्लॉक वरिष्ठ रखा गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि यह उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 29.7.1992 के फैसले का उल्लंघन था। दिनांक 9.6.2000 के कार्यालय ज्ञापन और अंतिम वरिष्ठता सूची की सत्यप्रतिलिपियां अपील के अनुलग्नक पी-5 के रूप में प्रस्तुत की गई है।

25. विद्वान एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी, ने माना कि दिनांक 25.5.2000 के ज्ञापन में निहित वरिष्ठता के

निर्धारण का सिद्धांत नियमों के नियम 28 (ग) का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उक्त निर्णय को उलट दिया है और इसलिए यह अपील है।

26. हमारी राय में इस अपील को अनुमति दी जानी चाहिए।

27. इस संबंध में एन. के. चौहान और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामलें में इस न्यायलाय की तीन न्यायाधीशों की पीठ क संदर्भ लिया जा सकता है। 1977(1) एससीसी 308, मद सं. 32 और 33 में उपरोक्त निर्णय के बारे में इस न्यायालय ने कहा हैः

"**32**. इसलिए हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैंः

1. 1960 और 1962 के बीच सरकार द्वारा किए गए मामलातदारों की पदोन्नति को जहां तक व्यावहारिक रूप में संभव हो, परन्तुक द्वारा संरक्षित किया गया है और इसलिए यह वैध है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1966 में एक ही कोटा के आधार पर पूल में आने वाले पदोन्नति और सीधी भर्ती वाले लोगों के लिए नियमित नियम बनाए गए हैं, लेकिन बुनियादी अंतर के साथ। 1966 के नियमों में जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो व्यावृत्ति प्रावधान को हटा दिया गया है। इसका परिणाम वरिष्ठता पर पडता है। भले ही कोटा समायोजन के लिए वर्ष को इकाई माना गया हो।

2. यदि 1966 में नियम बनाने के बाद मामलातदारों के लिए निर्धारित कोटा से अधिक कोई पदोन्नति की गई है, तो सीधी भर्ती वाले लोगों को यह दावा करने का वैध अधिकार है कि मामलातदारों में से आवंटन योग्य अनुपात से अधिक नियुक्तियों को नीचे धकेलना होगा। बाद के वर्षों में जब उनकी पदोन्नति को उन वर्षों के लिए उनके वैध कोटा में समाहित करके नियमित किया जा सकता है। सरल बनाने के लिए, उदाहरण से, यदि 1967 में 10 डिप्टी- कलेक्टरों की वास्तविक रिक्तियां मौजूद थी, लेकिन 8 पदोन्नत लोगों को नियुक्त किया गया था और अकेले दो सीधी भर्ती को सुरक्षित किया गया था, तो यह 50: 50 नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। पदोन्नत व्यक्तियों में से 3 हाथों की अतिरेकता स्थायी आधार पर नियमित रूप से नियुक्त होने का दावा नहीं कर सकती है। कुछ समय के लिए वे पदों पर है और एक मात्र अधिकारिक ग्रेड जो उन्हें बढाया जा सकता है, वह है, उन्हें पदोन्नति के लिए आवंटित बाद की रिक्तियों में समाहित करना।

जहाँ भी वार्षिक प्रवेश में पदोन्नत लोगों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व हुआ है, वहाँ इस पर काम करना होगा। अपीलकर्ताओं के वकील श्री पारेख ने इस स्थिति को निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है।

3. कोटा नियम, अनिवार्य रूप से, रोटा नियम के अनुप्रयोग को लागू नहीं करता है। इस स्थिति का प्रभाव यह है कि यदि 1960 के बाद के वर्षों

में उनके अनुपात को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में सीधी भर्तियां नहीं हुई हैं और उन कम रिक्तियों को पदोन्नतियों द्वारा भरा गया है, तो बाद में सीधी भर्ती वाले 'मानी गई' तिथियों का दावा नहीं कर सकते हैं। सेवा में वरिष्ठता के लिए उस समय से नियुक्ति, रोटा या बारी के अनुसार, सीधी भर्ती से रिक्तियां उत्पन्न हुई। वरिष्ठता निरंतर कार्यवाहक सेवा की अवधि पर निर्भर करेगी और खुले बाजार से बाद में आगमन से परेशान नहीं किया जा सकता है सिवाय इसके की किसी भी अतिरिक्त पदोन्नतियों को नीचे धकेलना पड सकता है जैसा कि पहले बताया गया है।

33. 1959 के प्रस्ताव की सामान्य समझ पर आधारित इन सूत्रीकरणों का निर्णय किए गए मामलों के आलोक में परीक्षण किया जाना चाहिए। आखिरकार, हम एक ऐसी न्यायप्रणाली में रहते हैं जहां पहले की न्यायिक बुद्धि, जब तक सक्षम रूप से खारिज नहीं की जाती, न्यायालय को बाध्य करती है। हमारे सामने उद्धृत निर्णय मर्विन कॉटिन्डो बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 52 के प्रमुख मामले से शुरू होते हैं और वी. बी. बादामी बनाम मैसूर 1976 (2) एससीसी 901 के अंतिम घोषणा के साथ समाप्त होते हैं। इस समयावधि में आदेशों को टेढामेढा देखा गया है, लेकिन हमें तर्क के एक सामान्य सूत्र का पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं दिखती है। हालाँकि, एक ओर मर्विन कोटिंडो और गोविंद दत्तात्रेय केलकर बनाम मुख्य आयात नियंत्रक और ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 839 के बीच निर्णय के औचित्य में भिन्नताएं हैं

और दूसरी ओर एस. जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1427, बिशन सरूप गुप्ता बनाम भारत संघ 1973 (3)

एस. सी. सी. 1, संघ भारत बनाम बिशन सरूप गुप्ता 1975 (3) एस. सी. सी 116 और ए. के. सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ 1975 (1) 468 पर एस. सी. सी. 319 में विशेष रूप से रोटा प्रणाली और वर्ष को एक ईकाई के रूप में मानने पर, की इस न्यायालय को एक दिन विसंगति में सामंजस्य बिठाना पड सकता है जब तक कि सरकार अपने सेवा नियमों को उचित रूप से तैयार करने की आवश्यकता के प्रति नहीं जागती है, ताकि उसके सेवकों की ऊर्जा के मुकदमेबाजी बरबादी को खत्म किया जा सके। (जोर दिया गया)

28. उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर विचार किया है, जिसमें मर्विन कोटिंडो बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर ए.आई.आर 1967, एस. सी. 52, एस. जी. जयसिंहानी बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1967 एस. सी., 1427, वी. बी. बादामी बनाम मैसूर राज्य, 1967 (2) एससीसी 901 आदि, संवैधानिक पीठ के फैसले शामिल हैं।

29. हमारी राय में एन. के. चौहान के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के सिद्धांत को एक काल्पनिक लेकर स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी विशेष सेवा में 50 प्रतिशत रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरा जाना है और मान लीजिए कि एक नियम है

कि सीधी भर्ती और पदोन्नतियों की परस्पर वरिष्ठता रिक्तियों को घूर्णान के अनुसार तय किया जाना है। सीधी भर्ती वाले और पदोन्नत व्यक्ति के बीच इस तरह से की पहला पद पदोन्नत व्यक्ति को जाएगा, दूसरा सीधी भर्ती वाले को, तीसरा पदोन्नत व्यक्ति को, चौथ सीधी भर्ती वाले को इत्यादि। यहाँ भी सामान्य नियम यह है कि वरिष्ठता निरंतर कार्यवाहक सेवा की अवधि पर निर्भर करेगी, जब तक कि सीधी भर्ती या पदोन्नत लोगों का कोटा पार नहीं हो जाए, इसका पालन किया जाना चाहिए। यदि उक्त कोटा पार हो जाता है तो ही नियुक्तियों को वरिष्ठता में नीचे धकेलना होगा, अन्यथा वरिष्ठता निरंतर कार्यवाहक सेवा की तारीख से लेनी होगी। वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया गया है कि सीधी भर्ती का कोटा पार नहीं किया गया। इसलिए, हमारी राय में, सीधी भर्ती (अपीलार्थी) की वरिष्ठता उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से ली जानी चाहिए और उन्हें वरिष्ठता में नीचे नहीं धकेला जा सकता है। सीधी भर्ती(अपीलकर्ताओं) की नियुक्तियों के बाद पदोन्नत लोगों (यहां प्रतिवादीयों) को टी. सी. एस. के ग्रेड ।। में नियुक्त किया गया था। इसलिए पूर्व को बाद वाले से कनिष्ठ माना जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय के पूर्व के दिनांक 29.7.1992 के खंड पीठ के फैसले को एन. के. चौहान वाले मामले (उपर्युक्त) में इसी न्यायालय के फैसले के आलोक में समझना होगा।

30. खंड पीठ के आक्षेपित निर्णय का परिणाम यह होगा कि 1990 में सीधी भर्ती से आए वे लोग, जो 1998 से पहले सृजित रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती किए गए थे, वरिष्ठता में 1991 के पदोन्नत लोगों से नीचे धकेल दिए जाएंगे। हमारी राय में ऐसा दृष्टिकोण कानून में स्पष्ट रूप से गलत है।

31. हमारी राय में सरकार का आदेश दिनांक 25.5.2000 और कार्यालय ज्ञापन दिनांक 9.6.2000 वैध है और त्रिपुरा सिविल सेवा नियमों के अनुसार है और खंड पीठ का दृष्टिकोण सही नहीं है।

32. बी. एस. माथुर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2008 (10) एस. सी. सी. 271 में यह देखा गया कि आम तौर पर परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण सेवा की निरंतरता की अवधि के आधार पर की जाती है। उपरोक्त निर्णय में न्यायालय ने ओ. पी. सिंगला और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 1984 (4) एस. सी. सी. 450, रुद्र कुमार सैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2008(8) एससीसी 25 ने पहले के फैसलों का उल्लेख किया है।

33. चूंकि सीधी भर्तियों का कोटा पार नहीं हुआ है, इसलिए हमारी राय में वरिष्ठता की गणना प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए और उक्त वरिष्ठता को नीचे नहीं धकेला जा सकता है।

34. ऊपर दिए गए कारणों से यह अपील स्वीकार की जाती है, खंड पीठ के आक्षेपित फैसले को रद्द किया जाता है और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा जाता है। खर्चे के संदर्भ में कोई आदेश नहीं किया गया।

के. के. टी. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक आधिकारी प्रशांत पूनिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।